

CA-2
30/7/21

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

30 JUL 2021

कमांक-एफ.10(1)आयु./2019

जयपुर, दिनांक :

-: आदेश :-

चिकित्सकीय सेवाओं को सुचारुत्व प्रदान करने एवं प्रशासनिक कारणों से लोकहित में निम्नांकित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी ग्रेड-11 का स्थानान्तरण/पदरथापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्गिक	पद	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विवरण
1	डॉ. निर्मला सोनवाल	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	मोवाईल यूनिट प्रतापनगर से राज. होम्यो.ओष. दौसा स्थानान्तरणाधीन	मोवाईल यूनिट प्रतापनगर	डॉ. नीतू भीणा के स्थान पर
2	डॉ. नीतू भीणा	वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-11	मोवाईल यूनिट प्रतापनगर, जयपुर	राज.होम्यो.ओष. दौसा	SMO-II के रिक्त पद पर (प्रभावित)
3	डॉ. अशोक सुथार	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.ओष. देशनोक- वीकानेर	राज.होम्यो.ओष. पारीक चौक वीकानेर	डॉ. रुचिता राजपुरोहित के स्थान पर SMO-I के पद विरुद्ध
4	डॉ. रुचिता राजपुरोहित	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.ओष. पारीक चौक वीकानेर	राज.होम्यो.ओष. देशनोक- वीकानेर	डॉ. अशोक सुथार के स्थान पर
5	डॉ. दिव्या कुमारी	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.ओष. सांथेली-बून्दी	राज.होम्यो.चिकि. पंजाब सभा, कोटा	SMO-II के रिक्त पद विरुद्ध
6	डॉ. हिमांशु कुमारी मीना	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औषधालय, [CHC] चिनानी, टोंक।	सामान्य चिकि. एकछत स. माधोपुर	डॉ. कृपाशंकर वैरवा के स्थान पर SMO-II के पद विरुद्ध
7	डॉ. कृपाशंकर वैरवा	वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-11	सामान्य चिकि. एकछत स.माधोपुर	राज. होम्यो. औषधालय हिन्डीन करौली	रिक्त पद पर
8	डॉ. संजू वर्मा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	सामान्य चिकि. एकछत स.माधोपुर से राजाखेडा स्थानान्तरणाधीन	राज.होम्यो. औषधालय, [CHC] चिनानी टोंक	डॉ. हिमांशु कुमार मीना के स्थान(प्रभावित)
9	डॉ. गौतम पटेल	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. रसनाली-अलवर	राज.होम्यो.चिकि. मारवाड मूण्डवा-नागौर	रिक्त पद पर

क्र. सं.	भाग कार्मिक	पद	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विवरण
9	डॉ. अश्विनी गुप्ता	होम्योपैथिक चिकित्साविभागीय	रीएचसी गोरिया-सीकर	रीएचसी रारगोट-सीकर	डॉ. मुकुल शर्मा के स्थान पर
10	डॉ. भूपाल शर्मा	होम्योपैथिक चिकित्साविभागीय	रीएचसी रारगोट-सीकर	राज. होम्यो. औष. मुरलीपुरा-जयपुर	डॉ. मधु सोडु के स्थान पर
11	डॉ. मधु सोडु	होम्योपैथिक चिकित्साविभागीय	राज. होम्यो. औष. मुरलीपुरा-जयपुर	रीएचसी धौगू-सीकर	SMO-II के रिक्त पद विरुद्ध

नोट:-

1. तदन्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
2. उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो, तो उसकी कियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो, तो उसकी कियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर करें।

आज्ञा से,

(आर.पी. चंद्रवंदी)
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2021/5638-5708 दिनांक:- 30-7-21

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
 2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
 3. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(1)आयु. /2019 जयपुर, दिनांक 30.07.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
 4. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय वेबसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्वन्धित कार्मिकों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
 5. संवन्धित प्रभारी पी.एच.सी./सी.एच.सी.
 6. संवन्धित प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकि/औष./मोबाईल यूनिट/पी.एच.सी./सी.एच.सी.को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावे।
 7. संवन्धित, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-II/होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी कियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करे।
 8. कार्यालय की लेखा शाखा/कैश/विधि/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा/सांख्यिकी शाखा।
 9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक